



2026:AHC:21592

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2042 सन् 2026

रामू और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवेन्द्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देना और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उपयोगी नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील घोसी, जिला मऊ को वाद संख्या 2884/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या TT20251510202884) (रामू और अन्य बनाम राम प्रसाद उर्फ मऊ और अन्य) का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला लंबे समय से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील घोसी, जिला मऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त **मामले का निपटारा कानून के अनुसार करें** और अनावश्यक स्थगन न दें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"